I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB HISAR **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/03/2018 18:27 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 31/12/2012 **Date To (दिनांक तक):** 18/09/2014

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 09:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/03/2018 **Time (समय):** 16:45 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/03/2018 17:43 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 45 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): बवानी खेडा भिवानी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** अनील कुमार DSP

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1965 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा			1. सचिव नगर परिषद हांसी,HANSI,HARYANA,INDIA
2	हंसराज			1. सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा,BHIWANI,HARYANA,INDIA
3	लावण्य सैनी			1. कार्यालय आयुक्त आबकारी एंव,कराधान हरियाणा पंचकूला,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
4	मनंदीप कुमार			1. कार्यालय निदेशक कृषि विभाग,पंचकूला,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
5	हनुमान प्रसाद ठेकेदार		Father's Name: शिवनारायण शर्मा	1. तोशाम,BHIWANI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान् जी जांच क्रमांक 02 दिनांक 5.2.2015 भिवानी जो महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के कार्यालय पृ0 क्रमांक 1907 -

08/आई -3/रा0चै0ब्यूरो (ह0) दिनांक 06.02.2015 के अनुसार रजिस्ट्रर होकर इस मण्डल मे पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें निम्नलिखित आरोपो की पड़ताल की जानी थी। वर्ष 2012 - 2013 व 2014 में नगर पालिका, बवानीखेडा, जिला भिवानी द्वारा हनुमान प्रसाद, ठेकेदार के माध्यम से विकास कार्य करवाये गए थे लेकिन विकास कार्यो की अदायगी नगरपालिका बवानीखेड़ा द्वारा समय पर नहीं की गई जिस पर हनुमान प्रसाद, ठेकेदार ने उस द्वारा करवाये गये विकास कार्यो की अदायगी न होने के कारण जिस पर उसने सी0डब्ल्यू0पी0 न0 12643/2014 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दायर कर दी जिस पर सुनवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा ने अपने आदेश दिनांक 04.07.2014 के अनुसार याचिका डिस्पोजड आफॅ करते हुये आदेश पारित किये की प्रतिवादी न0 3 (सचिव नगर पालिका बवानीखेडा) व प्रतिवादी न0 4 (उपायुक्त भिवानी) ठेकेदार हनुमान प्रसाद द्वारा दी गई शिकायतो दिनांक 27.08.2013 व 29.09.13 का निपटारा कानून के मुताबिक एक माह के अन्दर अन्दर करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की बजट शाखा द्वारा सचिव नगर पालिका, बवानीखेड़ा द्वारा भेजे गए पत्र क्रमांक 569/एम0सी0बी0के0 दिनांक 07.08.2013 की पालना, जिसमें उपरोक्त दोनो कार्यो की प्रशासकिय व तकनीकी स्वीकृति मांगी गई थी, के सन्दर्भ में, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा के पत्र क्रमांक बी0ए0 -5/2014/32303 दिनांक 08.07.2014 के अनुसार प्रशासकिय व तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस पर सतबीर मलिक, अधीक्षक (बजट एवं प्लानिंग शाखा) कृतेः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पचंकुला के हस्ताक्षर है। इसी विषय बारे निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा के कार्यालय से जारी किया एक दुसरा पत्र क्रमांक टी.ए. -1/2014/34568 दिनांक 04.08.2014 जारी किया गया जिसमें भी सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा के पत्र क्रमांक 569/एम.सी.बी.के. दिनांक 07.08.2013 का ही हवाला दिया गया है लेकिन पत्र की असल तारीख 07.08.13 की बजाय तारीख 04.07.2013 लिखी गई है जिसके अनुसार भी प्रशासकिय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह पत्र कार्यकारी अभियंता III कृतेः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पंचकुला के हस्ताक्षरो से जारी किया गया है लेकिन उस समय पर कार्यकारी अभियंता III श्री पकंज सैनी कार्यरत थे। जिन्होनें उक्त पत्र पर अपने हस्ताक्षर होने से ईन्कार किया है । निदेशक शहरी स्थानीय निकाये के कार्यालय द्वारा की गई कार्यालय स्तर पर जांच के दौरान सतबीर मलिक अधीक्षक (बजट एंव प्लानिंग शाखा) ने पत्र दिनांक 08.07.14 पर उसके हस्ताक्षर होने बारे मना किया है। जांच पड़ताल के दौरान सजींव कुमार सहायक ने बताया है कि उपरोक्त दोनो पत्रों पर सतबीर मलिक अधीक्षक द्वारा ही डिस्पैच नम्बर लगाऐ गऐ थे तथा जांच पड़ताल पर यह भी पाया है कि उपरोक्त की गई कार्यवाही बारे कोई नोटिंग फाईल तैयार नहीं की गई और न ही किसी डिलिंग सहायक के माध्यम से पत्राचार किया गया। यह तमाम कार्यवाही बजट शाखा स्तर पर ही सतबीर मलिक द्वारा की जानी पाई गई है तथा उपरोक्त पत्रों पर मोहर के ऊपर तथा मोहर के नीचे लघु हस्ताक्षर भी सतबीर मलिक अधीक्षक द्वारा ही अपने स्तर पर ही किए गए थे क्योकि डिलिंग सहायक के माध्यम से कोई भी नोटिंग फाईल तैयार नहीं की गई। अतः उपरोक्त पत्रो पर मोहर के उपर तथा मोहर के नीचे लघु हस्ताक्षर सतबीर मलिक द्वारा ही अपने किसी नीजि स्वार्थ के कारण किए है। जिस के लिए सतबीर मलिक तत्कालीन अधीक्षक (बजट एंव प्लानिंग) पूर्ण रूप से जिम्मेवार है । इसके बाद श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा द्वारा माननीय अदालत के आदेश दिनांक 04.07.14 की व्याख्या ठीक प्रकार से न करके एक पत्र क्रमांक 523/एम0सी0बी0के0 दिनांक 16.09.2014, CWP NO- 12643/2014 की पालना में हनुमान प्रसाद ठेकेदार द्वारा करवाऐ गए कार्यो की अदायगी नगर पालिका की वैट ग्रान्ट से 80,42,823/- रूपये व 18 प्रतिशत ब्याज सहित अनुदान राशि देने व स्वीकृति प्रदान करने बारे निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पंचकुला से अनुरोध किया। जबकि माननीय उच्च न्यालय के आदेश दिनांक 04.07.14 में हनुमान प्रसाद ठेकेदार को 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि की अदायगी करने बारे कोई आदेश नहीं दिया था। जबकि उत्तरवादी पक्ष न0 4 सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की गलत व्याख्या करके तथा ठेकेदार से मिली भगत करके, उस द्वारा कराये गये कार्यो की धन राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहीत मांग करके तथा सतबीर मलिक, अधीक्षक (बजट एवं प्लांनिग) से मिलकर अनुचित रूप से अनुमति लेकर अपने पदो का दुरूपयोग किया है व श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा सचिव तथा श्री हंसराज तत्कालीन लेखाकार अब सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा ने मिली भगत करके ठेकेदार हनुमान प्रसाद को धन राशि की अदायगी की है। जिसके लिये श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा व श्री सतबीर मलिक अधीक्षक (बजट एवं प्लांनिग) व श्री हंसराज तत्कालीन लेखकार अब सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा के उपरोक्त पत्र की पालना में दिनांक 18.09.2014 को सतबीर मलिक ने खुद अपनी नोटिंग डाल कर यह पत्र अनुभाग अधिकारी को मार्क करके अनुभाग अधिकारी को व्यस्तार्थ लिख कर लेखा अधिकारी को मार्क कर दिया। लेखा अधिकारी ने उस नोटिंग पर Please Examine लिख कर वापिस अनुभाग अधिकारी को लिख दिया और यह फाईल दिनांक 18.09.2014 को ही श्री लावण्य सैनी, अनुभाग अधिकारी के पास पहुंच गई थी। इसी दौरान यह फाईल दिनांक 18.09.2014 को ही श्री लावण्य सैनी अनुभाग अधिकारी की मेज से गुम हो गई जब सतबीर मलिक अधीक्षक (बजट एंव प्लानिंग शाखा) को मालूम पडा कि यह फाईल इस स्तर पर आकर रुक गई है तो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय से पत्र क्रमांक बी0ए0-4/2014/45408 दिनांक 18.09.2014 सतबीर मलिक ने अपने स्तर पर ही बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति के पत्र डायरी होने से पहले ही अपने हस्ताक्षर करके ठेकेदार हनुमान प्रसाद को 18 प्रतिशत ब्याज सहित अदायगी करने बारे पत्र जारी कर दिया। उपरोक्त पत्र जारी करने के बाद सचिव नगर पालिका का पत्र क्रमांक 523 जिस पर 823 दिनांक 16.09.2014 नम्बर लगा था, को दिनांक 19.09.2014 को डायरी किया गया और आगामी कार्यवाही के लिए कार्यकारी अभियंता III को मार्क किया गया था सतबीर मलिक अधीक्षक (बजट एंव प्लानिंग शाखा) द्वारा जारी किये गये पत्र दिनांक 18.09.14 की अनुपालना में सचिव नगर पालिका श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने ठेकेदार हनुमान प्रसार को 79,57,713/- रूपये की अदायगी चैको के माध्यम से कर दी जिसके लिये श्री सतबीर मलिक अधीक्षक (बजट एवं प्लानिंग शाखा) व श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, सचिव नगर पालिका व श्री हंसराज तत्कालीन लेखाकार अब सचिव पुर्ण रुप से जिम्मेवार है । इसके ईलावा उपरोक्त फाईल दिनांक 18.09.2014 से 31.10.2014 तक श्री लावण्य सैनी अनुभाग अधिकारी की तहवील से गुम रही जिसकी सूचना श्री लावण्य सैनी अनुभाग अधिकारी के माध्यम से मनदीप सिंह, लेखा अधिकारी को भी दिनांक 19.09.2014 को मिल गई थी लेकिन उपरोक्त दोनो अधिकारियो ने दिनांक 18.09.2014 से 31.10.2014 तक उपरोक्त फाईल के गुम होने बारे अपने उच्च अधिकारीयो को लिखित में कोई सूचना नही दी। जिसके लिए श्री मनदीप कुमार, लेखा अधिकारी व श्री लावण्य सैनी अनुभाग अधिकारी ने अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही की है। जिससे मनदीप कुमार, लेखाधिकारी व श्री लावण्य सैनी, अनुभाग अधिकारी की उपरोक्त प्रकरण में सतबीर मलिक अधीक्षक के साथ मिलीभगत पुर्ण रुप से स्पष्ट साबित होती है। इस प्रकार राजेन्द्र प्रसाद वर्मा सचिव, नगर पालिका बवानीखेड़ा जिला भिवानी हाल सचिव नगर परिषद हांसी, श्री हंसराज तत्कालीन लेखकार अब सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा, श्री लावण्य सैनी, अनुभाग अधिकारी, बजट एंव प्लानिंग शाखा, कार्यालय निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पचंकुला हाल कार्यालय आयुक्त आबकारी एंव कराधान हरियाणा पंचकूला, श्री मनंदीप कुमार, लेखा अधिकारी, एंव प्लानिंग शाखा, कार्यालय निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पचंकुला हाल कार्यालय निदेशक कृषि विभाग हरियाणा पंचकूला व हनुमान प्रसाद ठेकेदार पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा वासी तोशाम ने आपस मे आपराधिक षडयन्त्र रचकर हनुमान प्रसाद ठेकेदार को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के अपने पद का दुरुपयोग करके माननीय उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 04.07.14 की जान बुझकर बेईमानी व कपटपूर्ण मन्शा से गलत व्याख्या करके तथा बिना सक्षम अधिकारीयो की

अनुमति के अपने स्तर पर प्रशासकिय , तकनीकि एवं भुगतान स्वीकृति का कूटरचित पत्र जारी करके तथा हनुमान प्रसाद ठेकेदार को धनराशि की अदायगी के आदेश जारी करके अपराध किया है। जिनके खिलाफ जेरधारा 406,409,467,468,471,120 बी भा0द0स0 व 13 (1) (डी0) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। लेकिन सतबीर मलिक तत्कालीन अधीक्षक (बजट एवं शाखा) की दिनांक 26.11.2015 की मृत्यु हो चुकी है तथा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 52115/15-1 दिनांक 19.08.2016 के अनुसार सतबीर सिंह मलिक की मृत्यु होने के कारण जांच से सतबीर सिंह मलिक के नाम का शोधन पत्र जारी किया गया था। इसलिए सतबीर मलिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नही बनती । इसके उपरान्त महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला ने पत्र क्रमांक 360/रा0 चै0 ब्यु0 (ह0) दिनांक 09.01.2018 अनुसार सरकार को भिजवाई । तदोपरान्त यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 52/10/2015-2 चैक्सी II दिनांक 01.03.2018 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 7178/1-3/एस0वी0बी0/एच दिनांक 13.03.2018 के अनुसार उपरोक्त व्यक्तियो के विरुद्द अभियोग दर्ज करने के लिये प्राप्त हुई । अतः राजेन्द्र प्रसाद वर्मा सचिव, नगर पालिका बवानीखेड़ा जिला भिवानी हाल सचिव नगर परिषद हांसी, श्री हंसराज तत्कालीन लेखकार अब सचिव नगर पालिका बवानीखेड़ा, श्री लावण्य सैनी, अनुभाग अधिकारी, बजट एंव प्लानिंग शाखा, कार्यालय निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पचंकुला हाल कार्यालय आयुक्त आबकारी एंव कराधान हरियाणा पंचकूला, श्री मनंदीप कुमार, लेखा अधिकारी, एंव प्लानिंग शाखा, कार्यालय निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पचंकुला हाल कार्यालय निदेशक कृषि विभाग हरियाणा पंचकूला व हनुमान प्रसाद ठेकेदार पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा वासी तोशाम के विरूद्व जेरधारा 406,409,467,468,471,120 बी भा0द0स0 व 13 (1) (डी0) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज रजि0 करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड बराये तफतीश निजद निरीक्षक मुकेश कुमार रा.चौ. ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी भेजी जावे । नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजिस्टेªट साहब व अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भिजवाई जावे । sd अग्रेंजी अनिल कुमार DSP प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चैकसी ब्युरो (ह) हिसार मण्डल हिसार ।दिनांक 16.03.2018 अज थानाः- हस्ब आमद तहरीर बाला पर मुकदमा हजा व जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल मय असल तहरीर मय मुक्कमल रिकार्ड बादस्त HC मुकेश कुमार 721/NNL के निजद निरीक्षक रा.चौ. ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी भेजी जा रही है । वा नकुलात FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा मे भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): MUKESH KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PINSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): DHARAMVIR SINGH

Rank (पद): SUB-INPECTOR

No. (सं.): 3/4

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1966				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	1966				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	1970				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	1960				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	

		धब्बे))				
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)